प्रेस नोट दिनाँक 12.09.2026

थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर को मय चोरी किये गये 79 लाख रुपये नगद व लगभग 21 लाख रुपये के जेवरात (पीली धातु) एवं एक गाड़ी हुण्डई वर्ना सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ सुश्री अंकिता शर्मा के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक (क्षेत्राधिकारी नगर) के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 323/26 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात की घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1. आरिफ अंसारी पुत्र असगर अंसारी नि0 गली नं0 06 इस्लामाबाद निकट मिन्नी वाली मस्जिद थाना लिसाढीगेट जनपद मेरठ 2. वसीम अंसारी पुत्र निजामुद्दीन नि0 पुर्वा अब्दुल वाली निकट इमलीयान मस्जिद थाना कोतवाली जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। दौराने गिरफ्तारी अभियुक्तगण के कब्जे से अभियोग उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गये 79 लाख रुपये नगद व लगभग 21 लाख रुपये के जेवरात (पीली धातु) बरामद किये गये। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी हुण्डई वर्ना को कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 323/26 में धारा 317(2), 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त घटना के सफल अनावरण/बरामदगी में सम्मिलित टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/-रु0 के पुरुस्कार से पुरुस्कृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण

1. आरिफ अंसारी पुत्र असगर अंसारी नि0 गली नं0 06 इस्लामाबाद निकट मिन्नी वाली मस्जिद थाना लिसाढीगेट, मेरठ

2. वसीम अंसारी पुत्र निजामुद्दीन नि0 पुर्वा अब्दुल वाली निकट इमलीयान मस्जिद थाना कोतवाली, मेरठ

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त आरिफ अंसारी से-

कंगन पीली धातु – 11.800 ग्राम , कंठी माला पीली धातु – 14.500 ग्राम , पीली धातु के छोटे बडे बारह टुकडे वजन – 75.380 ग्राम व बरामद माल (पीली धातु) का कुल वजन – 101.68 ग्राम

अभियुक्त वसीम अंसारी से-

500-500 रुपये के नोटों की कुल 100 गड्डी कुल धनराशि 5000000/- रू0 व एक मोबाइल फोन, गाड़ी वर्ना से- 500-500 रुपये के नोटों की 57 गड्डी तथा 100-100 रुपये के नोटों की 5 गड्डी कुल धनराशि 2900000/-रू0 तथा एक प्लास

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान आरिफ ने बताया कि हम दोनों आपस में रिश्तेदार हैं तथा हम लोगों पर कर्जा हो गया था। मैं शेख दिलावर हुसैन सर्राफ के यहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ। दिनाँक 10.09.2026 को मैं शेख दिलावर हुसैन की गाड़ी लेकर उसके नौकर सरफराज के साथ बदायूँ में माल देने व लेने के लिये आये थे। तभी हम लोगों ने पहली से ही योजना बना ली थी कि जब भी बदायूँ माल ले कर जायेंगे तो हम लोग योजनाबद्ध तरीके से माल को गायब कर देंगें। जब मैं व सरफराज माल व रुपयों को ले-देकर बदायूँ से मेरठ जा रहे थे, तभी दास कॉलेज,बदायूँ के पास बिरयानी खाने का बहाना बनाकर बिना लाक किये गाड़ी खड़ी कर दी थी तथा सरफराज को दूर बिरयानी की दुकान पर ले गया व योजनाबद्ध तरीके से वसीम अंसारी अपनी वर्ना गाड़ी से बदायूँ आया था और गाड़ी में रखे सोनें के आभूषण व रुपयों को चोरी कर लिये गये। तथा किसी को हम पर भी शक न हो इसलिए गाड़ी के पीछे की ओर का शीशा तोड़ दिया। वसीम पैसे व माल लेकर बदायूँ में छिप गया था। आज हम दोनो मौका पाकर अपनी इसी वर्ना गाडी चोरी किये गये रुपये व जेवरात को लेकर मेरठ जा रहे थे कि पुलिस ने हमे मय माल के पकड लिया। साहब जो हम लोग से जेवरात व रूपये बरामद हुए है।यह वही रूपये व जेवरात है जो हमने योजनाबद्ध तरीके से मालिक शेख दिलावर की गाडी से चोरी किये थे साहब गलती हो गयी है माफ कर दो।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण—

1. मु0अ0सं0 323/26 धारा 303(2), 324(4), 317(2), 61(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन्स बदायूँ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र सिंह

2. नि0 अ0 सुपेन्द्र मलिक

3. उ0नि0 अनन्त आमौरिया

4. का0 773 दीपक कुमार

5. का0 1812 अविनाश कुमार

6. का0 3108 देवेन्द्र कुमार

7. म0का0 2201 रूचि

सोशल मीडिया सेल,बदायूँ।